प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ0सी0), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतू नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2018–19 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरूद्ध वित्तीय प्रदर्शन पर भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I यह वित्त लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है, और यह 31 मार्च 2019 तक बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह सरकार के घाटा प्रबंधन, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियों, आकस्मिक मुद्दे, प्रतिबद्ध एवं अनिवार्य व्यय, ऋण, निवेश एवं उधार ढाँचों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय–II बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन पड़ताल करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय–III वित्तीय प्रतिवेदन चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निदेशो के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।